

28693

समाहरणालय, वैशाली ( )

Email : vaishallegalsection@gmail.com

(जिला विधि शाखा)

पत्रांक- 2677/जिला विधि, हाजीपुर

दिनांक 30-11-23

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।

सेवा में,

श्री अभिमन्यु सिंह,  
सरकारी अधिवक्ता,  
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,  
प्रिंसिपल जोन, नई दिल्ली।

विषय :-

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI Original Application No. 200/2014(C.W.P. No. 3227/1985) (I.A. No. 340/2022) M.C. Mehta Vs Union of India & Ors. में पारित न्यायादेश दिनांक 18.09.23 के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित मामले में BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI Original Application No. 200/2014(C.W.P. No. 3227/1985) (I.A. No. 340/2022) M.C. Mehta Vs Union of India & Ors. में पारित न्यायादेश दिनांक 18.09.23 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सरकारी वकील, वैशाली सह ओय कमीशनर, वैशाली के समक्ष लिए गये ओय जिसका ओय सं०- 13, दिनांक- 29-11-2023 है, को मूल में संलग्न कर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में दाखिल किए जाने हेतु भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने माध्यम से प्रासंगिक मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने के संदर्भ में अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथावर्णित मूल में।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी  
वैशाली।

28694



Oath No - 13  
Date - 29-11-23

## AFFIDAVIT

I, **Yashpal Meena**, aged about 41 years, S/O of **Shri K.L. Meena**, Resident of village- **S.D.O. Road**, P.S- **Hajipur**, District- **Vaishali(Bihar)** do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am presently posted as D.M. Vaishali and have been directed to swear this **Counter Affidavit**, in NGT Application No-200/2014 and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of the **Statement Of Facts** and states that the statements made therein are true to my knowledge and information, based upon the records of the case, which I believe to be true.
3. That the annexure are photo copies of their respective originals.

*Yashpal Meena*  
*DM Vaishali*  
*29/11/2023*  
**GOVT. HEADER**  
Vaishali, Hajipur

*Yashpal Meena*  
**DM**  
Vaishali



28696

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

Original Application No. 200/2014

(C.W.P. No. 3227/1985)

(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta ----- Petitioner.

Versus,

Union of India & Others ----- Respondents.

**REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE VAISHALI CUM EX-OFFICIO CHAIRMAN OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE AS ASKED VIDE NOTICE DATED 22/09/2023 IN THE LIGHT OF ORDER DATED 18/09/2023 PASSED BY THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL: -**

That in the light of order dated 18/09/2023 The National Green Tribunal ordered The District Magistrate cum Ex-officio Chairman of District Ganga Committee to submit reports in respect of 15 KEY POLLUTION ISSUES mentioned in the order. The District Magistrate cum Ex-officio Chairman of District Ganga Committee asked The Nodal Officer District Ganga Committee cum Executive Officer Nagar Parishad, Hajipur, Vaishali to get a detail report from all concerned department and organization related with the key pollution issues as pointed out in the aforesaid order and then following steps were taken by District Ganga Committee of Vaishali District of State of Bihar: -

1. The Nodal Officer District Ganga Committee cum Executive Officer Nagar Parishad Hajipur, Vaishali vide its Letter Number 2670 dated 16/10/2023 seeks report from altogether 13 various department dealing with different pollution issues as pointed out in the order and the steps taken for

prevention & control of pollution in river Ganga and its tributaries and distributaries.

Copy of Letter Number 2670 dated 16/10/2023 is  
Hereby annexed and marked as Annexure – 01

2. That in the light of aforesaid Letter Mineral Development Officer Vaishali (Hajipur) filed its detail report vide Letter No. 1400 dated 03/11/2023 in respect of Illegal Sand & Stone Mining & flood plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of river Ganga. As per report there is no any stone mining lease in the Vaishali district and sand mining and operation of brick kilns carry out as per rules & guidelines of state government framed as Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2019 as amended in the year 2021.

Copy of Letter No. 1400 dated 03/11/2023 is

Hereby annexed & marked as Annexure – 02

3. That Executive Engineer of Public Health Division of Hajipur, Vaishali filed its detail report vide Letter No. 3729 dated 19/10/2023 in respect of "Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead, its causing lot of health issues(including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt." In its report it is clearly mentioned that there is 166 wards in district Vaishali which are affected with Arsenic and in 159 wards pure drinking water has been supplied by way of surface water supply and in rest 07 wards through Arsenic Treatment Plant pure drinking water is being supplied.

Copy of Letter No. 3729 dated 19/10/2023 is

Hereby annexed and marked as Annexure 03

4. That District Fishery Officer Vaishali filed its detail report in respect of conservation of aquatic species vide Letter No. 1434 dated 20/10/2023. In its report it stated that as per provision of Bihar Fish Jalkar Management Act 2006 as amended in 2007, 2010 & 2018 is in effect which prohibit use of chemical toxin, dynamite, and gillnet and steps are taken for prevention

of fishing & angling of Dolphin, Tortoise, Crocodile and other protected species and department aware the fishermen in this respect and breeding, transporting, harvesting and marketing of foreign species like Thy Mangur & Big Head Fish has been stopped as per aforesaid Act & made it cognizable offence.

Copy of Letter No. 1434 dated 20/10/2023 is

Hereby annexed & marked as Annexure – 04

5. That Deputy General Manager, Bihar Industrial Area Development Authority, Hajipur(Vaishali) Cluster filed its report in respect of Industrial Pollution & Hazardous Waste Disposal vide its Letter No. 728/L dated 30/10/2023. In its report it is clearly stated that all the units running in Hajipur Industrial Area has its own PETP and there is no Thermal Power Leather industry in Hajipur (Vaishali) and Dairy Units have their own PETP in their premises.

Copy of Letter No. 728/L dated 30/11/2023 is

Hereby annexed and marked as Annexure – 05

6. That Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board also submitted its detail report in respect of Industrial Pollution & Hazardous Waste Disposal vide Letter No. 2203 dated 01/11/2023. As per report there is no significant industrial establishments on the mainstream of river Ganga & its tributaries. It also reported that identified 05 grossly polluting industries also do not discharge into river Ganga & its tributaries and have installed Effluent Treatment Plant. It also annexed analysis report of river Ganga & its tributaries.

Copy of Letter No. 2203 dated 01/11/2023 &

Annexed Analysis Report is hereby annexed &

Marked as Annexure – 06

7. That Project Director, Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Limited has filed its detail report in respect of "Sewage being discharged into the river and tributaries" vide Letter No. 404 dated 25/10/2023. In the report it clearly mentions that Sewerage Network Project work is in progress which will treat the water emerging from kitchen and washroom and make it usable for agriculture purpose. Due to NOC under process the time of completion of project has been extended to 02/07/2024.

Copy of Letter No. 404 dated 25/10/2023 is

Hereby annexed and marked as Annexure – 07

8. That Forest Divisional Officer, Vaishali Forest Division filed its detail report in respect of Illegal Sand & Stone Mining, Conservation of Aquatic Species, & Plantation on both side of rivers vide Letter No. 2373 dated 25/10/2023. In its report it clearly stated that there is a Mining Task Force for prevention & control of illegal sand mining. It also reported that it act as per provision of Indian Forest Act 1927 & Wildlife Conservation Act 1972 and take action when there is illegal hunting of aquatic & wildlife animal and also provide financial assistance to fishermen if they lost their net in freeing Dolphin which accidentally got trapped in their net. It also annexed details of plantation work on both side of river Ganga & Gandak.

Copy of Letter No. 2373 and annexed report of

Plantation dated 25/10/2023 is hereby annexed

& marked as Annexure – 08

9. That Civil Surgeon cum District Medical Officer Vaishali has also filed detail report in respect of Biomedical Waste Disposal System vide Letter No. 2026 dated 30/10/2023 along with the action taken in the light of order of District Magistrate Vaishali (Memo No. 1736 dated 12/09/2023). In its report it mention that notices have been issued to all Institutes who are not adhering to the order as conveyed by aforesaid Memo No. 1736 dated 12/09/2023.

28700

Copy of Letter No. 2026 along with copy of notice  
& minute of proceeding dated 28/08/2023 is  
Hereby annexed & marked as Annexure – 09

10. That there are four Nagar Parishad namely Hajipur, Lalganj, Mahnar & Mahua and three Nagar Panchayat namely Goraul, Patepur, & Jandaha. They all have filed their separate reports in respect of "Sewage being discharges into the river Ganga & tributaries" & "Municipal Solid Waste Disposal and Legacy Waste Remediation." They commonly communicated that there is prohibition in respect of disposal of solid waste in river Ganga and tributaries and wet & dry wastes are separately collected, wet wastes are used for making compost and dry wastes are disposed after separation at MRF centre. There is no legacy waste in the Municipal area. They also described in detail about the steps taken for disposal of solid waste.

Copy of reports filed by all the four Nagar Parishad  
& three Nagar Panchayats are hereby annexed &  
Annexure 10 to 16

In compliance of the Notice dated 22/09/2023 this detail report along with the annexure being submitted describing in detail about the steps taken for prevention and control of pollution in river Ganga and tributaries in the district Vaishali by the District Ganga Protection Committee for information and further direction if required.

The deponent YASHPAL MINA identified by  
me, solemnly affirms before me that the contents  
of the affidavit, examined and understood by him,  
are correct to the best of his knowledge & belief

Date 29-11-2023

[Signature]  
Govt. Pleader/Advocate cum Oath  
Vaishali, Hajipur Commissioner

Civil Court,  
Hajipur, Vaishali

[Signature]  
The District Magistrate cum Ex-officio Chairman  
District Ganga Protection Committee, Vaishali

[Signature]  
GOVT. PLEADER  
Vaishali, Hajipur

29/11/2023





## कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर

Help Line No.- 18004190608

(Email- hajipur nagar parishad@gmail.com)

Phone No.- 06224-260491

पत्रांक : 2870

दिनांक : 16.11.2023

प्रेषक :

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

सेवा में :

1. सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, बिहार, पटना।
2. उप विकास आयुक्त, वैशाली।
3. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर।
4. अरुैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली।
5. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, हाजीपुर।
6. कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, वैशाली/ बुडको, वैशाली।
7. जिला मत्स्य पदाधिकारी, वैशाली।
8. जिला खनन पदाधिकारी, वैशाली।
9. महाप्रबंधक उद्योग विभाग, वैशाली।
10. वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर।
11. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत, वैशाली
12. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, हाजीपुर, बिडुपुर, महनार, राघोपुर, देसरी, सहदेई बुजुर्ग, पातेपुर, महुआ एवं जंदाहा।
13. प्रबंधक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वैशाली।

विषय:

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वैशाली द्वारा गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई तथा निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित प्रतिवेदन आठ सप्ताह के भीतर दाखिल करने हेतु नोटिस किया गया है।

क्र०	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दु	स्तंभ 2 में उल्लेखित मुद्दे से संबंधित विभाग
1	2	3
1	Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead. Its causing lot of health issues (including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt.	1- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल 2- वैशाली, स्वास्थ्य विभाग
2	Sewage being discharges into the river and tributaries - Sewage that includes domestic wastes,	1- जिला जल स्वच्छता समिति, वैशाली।

	hospital waste, Industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	2- सभी नगर निकाय, वैशाली। 3- संबंधित प्रखंड कार्यालय, वैशाली।
3	<b>Illegal sand and stone mining</b> - by use of heavy machinery results in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc.	1. जिला खनन विभाग 2. वैशाली, वन विभाग, वैशाली
4	Flood plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.	1- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, वैशाली। 2- जल निस्सरण प्रमंडल, वैशाली। 3- जिला खनन विभाग, वैशाली।
5	<b>Conservation of aquatic species</b> - Gangetic Dolphins, gharial, otters, turtles, and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land-use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the flood plain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of aquatic species.	1. वन विभाग, वैशाली। 2. मत्स्य विभाग, वैशाली।
6	<b>Industrial pollution</b> - discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself. Detailed status reports regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline for establishment new CETP may also be furnished.	1- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वैशाली 2- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।
7	Plantation on both sides of river.	वन विभाग, वैशाली।
8	<b>Biomedical waste disposal system</b> - many big towns and cities like Patna, Buxar, Bhagalpur etc have numerous health clinics and hospitals.	स्वास्थ्य विभाग, वैशाली।
9	Hazardous waste disposal (Status from all Industries/Industrial estates/ thermal power plants/ dairy/ leather units etc in the 38 districts of Bihar).	1- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वैशाली 2- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।
10	Municipal Solid waste disposal and legacy waste remediation.	सभी नगर निकाय, वैशाली

11	Shifting of River Ganga from its original/ old course (noticed and district like Patna)	N/A
----	--	-----


अतः अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी उपरोक्त मुद्दो पर अद्यतन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

चूँकि अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वैशाली -सह- जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा प्रतिवेदन को ससमय दायर किया जाना है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन



नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति,  
वैशाली -सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर

28705

जिला खनन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

Annexure - 02

पत्रांक-..+4+00../एम०

दिनांक-..3/11/23

प्रेषक,

अग्निज विकास पदाधिकारी,  
वैशाली, (हाजीपुर)।

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली,

-सह-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय:-

NGT, New Delhi द्वारा Appliation No.-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A.No.- 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-2670, दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A.No.- 340/2022) में जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वैशाली द्वारा गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई तथा निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:-


क्र० सं०	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दु	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं का उत्तर प्रतिवेदन
1	<b>Illegal sand and stone mining-</b> by use of heavy machinery result in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migration birds, erosion	There is no any stone mining lease in the Vaishali district. Sand mining carry out as per rules & guidelines of State Government. Currently Bihar Minerals (Concession, Prevention of illegal mining, Transportation and Storage) 2019, as Amended Rules 2021 is effective. The Distrit Survey Report of Vaishali for sand has been

	<p>of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc.</p>	<p>prepared as per sustainable sand mining guidelines 2016 and Enforcement &amp; Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM) 2020. The District Survey Report of Vaishali is approved by State Environment Impact Assessment Authority, Bihar via letter no-262, Patna, dated-25.05.2022.</p> <p>In the district survey report it is mentioned that depth of sand mining shall not exceed 3 meter or water level whichever is less.</p> <p>Protection of turtle and bird habitats shall be ensured. There is no mining operation carried out during monsoon season to minimize affect on aquatic species. Safety zone will be adopted to protect infrastructural projects/bridges as per guidelines. No mining shall be carried out in the safety zone.</p> <p>There is no any sand ghats is operational at present time and all provisions &amp; guidelines of district survey report, and above rules shall be implemented during sand mining to protect river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migration birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, etc.</p> <p>The regular raid/inspection is carried out along with district administration and police administration so that no loss of royalty and cess could occur.</p> <p>There will be regular monitoring of mining activities/raids in the district to ensure effective compliance and provision under the miner mineral rules framed by the state government.</p>
2	<p>Flood plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.</p>	<p>Bihar State Pollution Control Board is the nodal authority for dealing in the establishment &amp; operation of brick kilns. The quarrying of brick earth is allowed upto Permissible depth and as per provision of Bihar Minerals (Concession,</p>

28707

	prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2019.
--	---

विश्वासभाजन

  
03/11/23  
अनिज विकास पदाधिकारी  
वैशाली (हाजीपुर)।

28708

Signature

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

पत्रांक:- 3729 / हाजीपुर,

कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह- नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

दिनांक:- 19/10/2023

NGT, New Delhi द्वारा Application No- 200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No- 340/2022 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

आपका पत्रांक 2670 दिनांक 16.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead, Its causing lot of health issues (including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt के संबंध में कहना है कि वैशाली जिला अंतर्गत Arsenic Effected area जो मुख्य रूप से गंगा किनारे वाले बसावट में पाया जाता है। वर्तमान में वैशाली जिला अंतर्गत कुल 166 वार्ड आर्सेनिक प्रभावित है जिसमें 159 वार्डों में सतही जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध जलापूर्ति की जाती है तथा शेष 07 वार्डों में Arsenic Treatment Plant के माध्यम से शुद्ध जलापूर्ति की जाती है।

अतः वैशाली जिला अंतर्गत आर्सेनिक मुक्त शुद्ध जलापूर्ति की जाती है।


विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

19-10-23

20/10/23



Munesh Ti  
20/10/23

1323  
20/10/23

28709

Annexure-04

कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर।

पत्रांक...../434...../मत्स्य/वैशाली, दिनांक-20.10.2023

नगर परिषद, हाजीपुर  
प्रेषक  
25 OCT 2023  
वैशाली

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
वैशाली, हाजीपुर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी  
जिला गंगा समिति वैशाली -सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय:-

NGT New Delhi द्वारा Application No.200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार  
एवम् अन्य (I A No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-2670 दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि जिला मत्स्य कार्यालय,  
वैशाली द्वारा सरकारी/नीजी तालाबों में मत्स्य पालन/मत्स्य शिकारमाही कार्य से जुड़ी गतिविधियों  
में मछुआरों/मत्स्यकृषकों को विभागीय योजनाओं का लाभ एवं अन्य आवश्यक तकनीकी  
सहयोग/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि जैव विविधता एवं पारितंत्र की सुरक्षा हेतु मत्स्य कृषकों को बिहार  
जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 यथासंशोधित 2007, 2010 एवं 2018 के प्रावधानों के तहत जलक्षेत्रों  
में मत्स्य शिकारमाही हेतु रासायनिक विष, डायनामाइट के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है तथा 4  
से0 मी0 के कम मेस साइज (फांसा) के गिलनेट का प्रयोग नदियों में प्रतिबंधित किया गया है।  
नदियों में गैंगेटिक डॉल्फिन, कछुआ, घड़ियाल की शिकारमाही नहीं करने हेतु मछुआरों को  
समय-समय पर गोष्ठियों के माध्यम से आगाह किया जाता है। देशी मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु  
प्रतिबंधित विदेशी प्रजातियों यथा बिग हेड मछली एवं थाई मांगुर के प्रजनन, परिवहन संचयन तथा  
विपणन पर अधिनियम के आलोक में रोक लगाया गया है। इसके अतिलंघन को संज्ञेय अपराध की  
श्रेणी में रखा गया है।

वैशाली जिले में इससे संबंधित अभी तक किसी मामले की सूचना अप्राप्त है। सूचना  
मिलने पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

20/10/2023

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
वैशाली, हाजीपुर।

329  
21/10/23

28710



## बिहार औद्योगिक क्षेत्र बिकास प्राधिकार

हाजीपुर क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली - 844101  
मुख्यालय - प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना - 800004

Amesure

पत्रांक 728/L  
प्रेषक,

दिनांक 30/10/2023

उप महाप्रबंधक  
हाजीपुर कलस्टर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
सह  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय: NGT New Delhi द्वारा Application 200/2014 एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 2670 दिनांक 16.10.2023 के आलोक में बियाडा से संबंधित कडिका का उत्तर संबंधित कडिका में दी जा रही है:-

क्र०	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दु	स्तंभ 2 में उल्लेखित मुद्दे से संबंधित विभाग का प्रतिवेदन
6	Industrial Pollution - discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself, Detailed status reports regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similar, information of CEPT performance report and time line for establishment new CEPT may also be	औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के अंतर्गत इकाईयों के द्वारा अपने परिसर में ही PETP की व्यवस्था की गई। इसके उपरान्त ही जल निकासी की जाती है।
9	Hazardous waste disposal (Status from all Industries/Industrial estate/thermal power plants/dairy/ leather units in the 38 districts of Bihar	औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के अंतर्गत कोई भी शर्मल पावर प्लेन्ट स्थापित नहीं है। डेयरी इकाईयों के द्वारा अपने परिसर में PETP की व्यवस्था की गई है।

विश्वासभाजन

Amesure Singh  
30/10/2023

उप महाप्रबंधक  
हाजीपुर कलस्टर

28711

28 OCT 24

कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली

पत्रांक :- 832/जि0उ0के0, वैशाली (संचिका सं0- ...../.....) दिनांक :- 25/10/2023.

प्रेषक,

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
वैशाली।

उप महाप्रबंधक,  
बियाडा, हाजीपुर, वैशाली।

विषय :-

NGT, New Delhi द्वारा Application No.- 200/2014- एम0सी0 मेहता बनाम  
भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No.- 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के  
संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, नोडल पदाधिकारी, जिला गंगा समिति, वैशाली -सह- नगर  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर के पत्रांक 2670 दिनांक 16.10.2023 की प्रति संलग्न  
करते हुए अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करते प्रतिवेदन नोडल  
पदाधिकारी, जिला गंगा समिति, वैशाली -सह- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर को  
उपलब्ध कराते हुए, कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट किया जाए।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25.10.23

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
वैशाली।

25/10/23

ज्ञापानक :- 832/जि0उ0के0, वैशाली (संचिका सं0- ...../.....) दिनांक :- 25/10/2023.

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, जिला गंगा समिति, वैशाली -सह- नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

25.10.23

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
वैशाली।

25/10/23

330  
6/10/23

## बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्रा, पटना-800 010

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फॅक्स-0612-2261050 वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in.

पटना, दिनांक :- 01/11-23.

पत्रांक:- 2203

एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0  
सदस्य-सचिव।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली,  
-सह-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय: NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (O.A. No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-आपका कार्यालय पत्रांक-2670, दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (O.A. No. 340/2022) में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वैशाली द्वारा गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु की गयी कार्रवाई एवं माननीय एन.जी.टी. के आदेश में उल्लेखित बिन्दु-6 एवं 09 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	माननीय एन.जी.टी. के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दु	अनुपालन
6.	<b>Industrial Pollution</b> - discharge of effluent in the tributaries of Ganga River and in the main stream itself. Detailed status report regarding quality assessment of effluent from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline of establishment new CETP may also be furnished.	<ul style="list-style-type: none"> <li>There are no significant industrial establishments on the main stream of river Ganga and its tributaries at Hajipur, Vaishali.</li> <li>Bihar State Pollution Control Board has identified 05 Grossly Polluting Industries (GPIs) in the district of Vaishali. M/s Globus Spirits Limited, Dhandua, Jandaha, Hajipur, Dist-Vaishali; M/s Anuj Dairy Pvt. Ltd. Ind. area, Hajipur, Vaishali; M/s VPDUSS Ltd. Unit-Milk Chilling Centre, Industrial Area, Hajipur, Vaishali; M/s Aasma Food &amp; Beverages (P) Ltd.,</li> </ul>

353  
2/11/23

✓

28713

Annexure - I



**BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010

EPABX-0612-2281250/2282265, Fax-0612-2281050

E-mail- msbspb-bih@gov.in, Website-http://bspb.bihar.gov.in

Letter No:- CL-110

Patna, dated:- 01-08-23

From,

Sri Arun Kumar,  
Board Analyst.

To,

Nodal Officer,  
District Ganga Committee -Cum- Executive Officer,  
Hajipur Nagar Parishad Hajipur, Vaishali.


Sub:- Submission of analysis reports-reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the invoice and analysis report of river water of Ganga and Gandak at different locations in Vaishali for your perusal and necessary action.

Encl. Ref. No.- 614 to 617.

Yours faithfully,

  
(Arun Kumar)  
Board Analyst.

28714

Annexure-I



**BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010

EPABX-0612-2281250/2282265, Fax-0612-2281050

E-mail- msbspcb-bih@gov.in, Website-http:// bspcb.bihar.gov.in

Letter No:- CL-110

Patna, dated:- 01-08-23

From,

Sri Arun Kumar,  
Board Analyst.

To,

Nodal Officer,  
District Ganga Committee -Cum- Executive Officer,  
Hajipur Nagar Parishad Hajipur, Vaishali.


Sub:- Submission of analysis reports-reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the invoice and analysis report of river water of Ganga and Gandak at different locations in Vaishali for your perusal and necessary action.

Encl. Ref. No.- 614 to 617.

Yours faithfully,

  
(Arun Kumar)  
Board Analyst.

28715



## Bihar State Pollution Control Board


Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010

### Analysis Report

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the sampling location	Gandak River At Basanta Jahanabad Ghat Laiganj, Dist-Vaishali
2.	Date of sample collection	06.07.2023
3.	Sample collected by	Sri Bhashkar Pandey , Sri Ajit Kumar Das
4.	Nature of Sample	Surface water
5.	GPS Coordinate of sampling point	25.842167, 85.164421
6.	Date of sample submission	07.07.2023
7.	Sample received by	Sri Laxmikant Yadav
8.	Laboratory Reference No.	614

Sl. No.	Parameters	Date of Analysis	Result	Method of Analysis	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water				
1.	Temperature (A/W)	06.07.2023	30/26	--	--				
2.	pH	07.07.2023	7.44	IS 3025 (Part - 11)	6.5-8.5				
3.	Dissolved Oxygen (mg/L)	06.07.2023	6.4	IS 3025 (Part - 38)	>4.0				
4.	Biological Oxygen Demand (BOD) (mg/L)	09.07.2023	2.9	IS 3025 (Part - 44)	< 3.0				
5.	Total Suspended Solids (mg/L)	07.07.2023	828	IS 3025 (Part - 17)	--				
6.	Total Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	92000	APHA 9221 B	--				
7.	Fecal Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	54000	APHA 9221 E	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Desirable</td> <td>Permissible</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>2500</td> </tr> </table>	Desirable	Permissible	500	2500
Desirable	Permissible								
500	2500								

  
 Report prepared by  
 (Rajeev Kumar)  
 ASO

  
 Report verified by  
 (Nalini Mohan Singh)  
 Scientist

  
 (Arun Kumar)  
 Board Analyst

28716




## Bihar State Pollution Control Board


Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010


### Analysis Report

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the sampling location	Gandak River At Konhara Ghat Hajipur, Dist-Vaishali
2.	Date of sample collection	06.07.2023
3.	Sample collected by	Sri Bhashkar Pandey , Sri Ajit Kumar Das
4.	Nature of Sample	Surface water
5.	GPS Coordinate of sampling point	25.680874, 85.195992
6.	Date of sample submission	07.07.2023
7.	Sample received by	Sri Laxmikant Yadav
8.	Laboratory Reference No.	615

Sl. No.	Parameters	Date of Analysis	Result	Method of Analysis	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water				
1.	Temperature (A/W)	06.07.2023	30/26	--	--				
2.	pH	07.07.2023	7.38	IS 3025 (Part - 11)	6.5-8.5				
3.	Dissolved Oxygen (mg/L)	06.07.2023	7.1	IS 3025 (Part - 38)	>4.0				
4.	Biological Oxygen Demand (BOD) (mg/L)	09.07.2023	2.8	IS 3025 (Part - 44)	< 3.0				
5.	Total Suspended Solids (mg/L)	07.07.2023	834	IS 3025 (Part - 17)	--				
6.	Total Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	54000	APHA 9221 B	--				
7.	Fecal Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	35000	APHA 9221 E	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Desirable</th> <th>Permissible</th> </tr> <tr> <td>500</td> <td>2500</td> </tr> </table>	Desirable	Permissible	500	2500
Desirable	Permissible								
500	2500								

  
 Report prepared by  
 (Rajeev Kumar)  
 ASO

  
 Report verified by  
 (Nalini Mohan Singh)  
 Scientist

  
 (Arun Kumar)  
 Board Analyst

28717



## Bihar State Pollution Control Board


Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010


### Analysis Report

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the sampling location	Ganga River At Bidupur 6 Lane, Dist-Vaishali
2.	Date of sample collection	06.07.2023
3.	Sample collected by	Sri Bhashkar Pandey, Sri Ajit Kumar Das
4.	Nature of Sample	Surface water
5.	GPS Coordinate of sampling point	25.619331, 85.342493
6.	Date of sample submission	07.07.2023
7.	Sample received by	Sri Laxmikant Yadav
8.	Laboratory Reference No.	616

Sl. No.	Parameters	Date of Analysis	Result	Method of Analysis	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water	
1.	Temperature (A/W)	06.07.2023	30/27	--	--	
2.	pH	07.07.2023	7.49	IS 3025 (Part - 11)	6.5-8.5	
3.	Dissolved Oxygen (mg/L)	06.07.2023	5.7	IS 3025 (Part - 38)	>4.0	
4.	Biological Oxygen Demand (BOD) (mg/L)	09.07.2023	2.6	IS 3025 (Part - 44)	< 3.0	
5.	Total Suspended Solids (mg/L)	07.07.2023	332	IS 3025 (Part - 17)	--	
6.	Total Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	35000	APHA 9221 B	--	
7.	Fecal Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	24000	APHA 9221 E	Desirable	Permissible
					500	2500

  
 Report prepared by  
 (Rajeev Kumar)  
 ASO

  
 Report verified by  
 (Nalini Mohan Singh)  
 Scientist

  
 (Arun Kumar)  
 Board Analyst

28718




## Bihar State Pollution Control Board


Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, Patliputra, Patna-800 010


### Analysis Report

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the sampling location	Ganga River At Hasanpur Haat Near Teen Muhani, Dist-Vaishali
2.	Date of sample collection	06.07.2023
3.	Sample collected by	Sri Bhashkar Pandey , Sri Ajit Kumar Das
4.	Nature of Sample	Surface water
5.	GPS Coordinate of sampling point	25.584201, 85.525752
6.	Date of sample submission	07.07.2023
7.	Sample received by	Sri Laxmikant Yadav
8.	Laboratory Reference No.	617

Sl. No.	Parameters	Date of Analysis	Result	Method of Analysis	Standards as per MoEF Notification G.S.R. 742 (E), dated 25.09.2000 for Primary Water Quality Criteria for Bathing Water				
1.	Temperature (A/W)	06.07.2023	30/27	--	--				
2.	pH	07.07.2023	7.58	IS 3025 (Part - 11)	6.5-8.5				
3.	Dissolved Oxygen (mg/L)	06.07.2023	6.1	IS 3025 (Part - 38)	>4.0				
4.	Biological Oxygen Demand (BOD) (mg/L)	09.07.2023	2.7	IS 3025 (Part - 44)	< 3.0				
5.	Total Suspended Solids (mg/L)	07.07.2023	92	IS 3025 (Part - 17)	--				
6.	Total Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	35000	APHA 9221 B	--				
7.	Fecal Coliform (MPN/100ml)	07.07.2023	13000	APHA 9221 E	<table border="1"> <tr> <th>Desirable</th> <th>Permissible</th> </tr> <tr> <td>500</td> <td>2500</td> </tr> </table>	Desirable	Permissible	500	2500
Desirable	Permissible								
500	2500								

  
 Report prepared by  
 (Rajeev Kumar)  
 ASO

  
 Report verified by  
 (Nalini Mohan Singh)  
 Scientist

  
 (Arun Kumar)  
 Board Analyst

52/10/11

No.	Name & Address of Industry	Site	ITW & Cat.	Waste Type	Quantity of ITW, as per Authorization (MTA)	Quantity of ITW, as per Authorization (MTA)	Quantity of ITW, generated as per annual return (MT)	Quantity disposed in captive SLE at TSDP (MT)	Quantity disposed through common SLE at TSDP (MT)	Quantity disposed by captive incinerator (MT)	Quantity disposed through common incinerator at TSDP (MT)	Quantity processed in cement kiln (MT)	Quantity utilized under rule-9 (MT)	Quantity of Schedule IV ITW (MT)	Captive utilization (MT)	Quantity of ITW stored at Occupier's premises at the end of the year	Annual Return Management	Status of Authorization & Management
1	Laxmi Virotek Ventures Pvt. Ltd. Near E.P.I.P. Road, Jambhal	Vadhal	Used Oil	Recyclable	0.4 TPA	0.4	1.101	-	-	-	-	-	1.003	-	0.312	Received	Five years i.e. up to 30.10.2021. The unit has	Five years i.e. up to 30.10.2021. The unit has
2	Bhakra Industries Ltd. Plot no C-3, C-4 to C-11, EIRP Near Hajipur Industrial Area, Dist-Vadhal-644101.	Vadhal	Used/Spent Oil 5.1 concentrated with oil (ITW cat. no. 3.1) as per Schedule I	Recyclable	0.2 KLA (0.17 MTA)	0.17	0.034	-	-	-	-	-	0.034	-	Nil	Received	Five years i.e. up to 06.04.2027 vide B-971, dt.07.04.2022	The unit has been directed to its scope for the purpose of its sale to authorized & certified recycler.
3	Adona Infrastructure Limited, Adona-Sheona IV, Hajipur, Vadhal.	Vadhal	Used/Spent Oil 5.1	Recyclable	1.0 KLA (0.83 MTA)	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	Nil	Submitted	Five years i.e. up to 20.05.2023 vide B-1335, dt.21.05.2018 (Consent)	Five years i.e. up to 24.03.2024 vide B-1580, dt.15.03.2019 (Consent). Cobaltion Storage, Transportation and other for sale for the purpose of its use as a material.
4	RSPCL Limited, Bihawal, P.O.-Bhagwanpur, Dist.-Vadhal.	Vadhal	Used oil 5.1	Recyclable	01 KLA (0.83 TPA)	0.83	0.268	-	-	-	-	0.968	0.374	-	0.013	Received	Five years i.e. up to 20.11.2027 vide B-406, dt.21.11.2022	Five years i.e. up to 20.11.2027 vide B-406, dt.21.11.2022
5	Radsons Corporate IT Park Ltd. BD Complex, 5th Floor, Plot No. 210 & 221,	Vadhal	Used/Spent Oil 5.1	Recyclable	0.08 KLA (0.068 MTA)	0.068	0.012	-	-	-	-	-	0.012	-	Nil	Received	Five years i.e. up to 20.11.2027 vide B-406, dt.21.11.2022	Five years i.e. up to 20.11.2027 vide B-406, dt.21.11.2022
6	Karna Petroc-Udyog, Industrial Area Hajipur, Vadhal (Other)	Vadhal	Lead bearing residues and lead ash or particulate from dust collector.	Landfillable	20 MTA	20	2.130	-	-	-	-	-	-	-	2.130	Not Submitted	Five years i.e. up to 29/04/2024 vide D-216, dt.10.04.2019	Five years i.e. up to 29/04/2024 vide D-216, dt.10.04.2019
7	Chobas Sports Ltd., Village-Dhudhva, Jambhal, Vadhal.	Vadhal	Used or spent oil (ITW cat. no. 5.1)	Recyclable	0.100 KLA (0.085 TPA)	0.085	0.030	-	-	-	-	0.030	-	-	-	Received	Five years i.e. up to 16.04.2024 vide B-187, dt.23.08.2020	Five years i.e. up to 16.04.2024 vide B-187, dt.23.08.2020
8	Agnel Industries Ltd. D-6/7/8 & 9, EIRP, Near Industrial Area, Hajipur, Dist.-Vadhal, Pin-644101, Bihar	Vadhal	Used or spent oil (ITW cat. no. 5.1)	Recyclable	0.500 KLA (0.425 TPA)	0.425	0.077	-	-	-	-	-	0.077	-	0.044	Received	Five years i.e. up to 19/09/2026 vide B-582, dt.22/09/2021. The unit has been	Five years i.e. up to 19/09/2026 vide B-582, dt.22/09/2021. The unit has been
9	Adona Infrastructure Private Limited, Muzee-Ajipur Dhogapat, Kambhal, Hajipur, P.O.-Shea, Dist.-Vadhal.	Vadhal	Used or spent oil (ITW cat. no. 5.1)	Recyclable	0.500 KLA (0.425 TPA)	0.425	0.077	-	-	-	-	-	0.077	-	0.044	Received	Five years i.e. up to 29.03.2027 vide B-401 dt.30.03.2022. The unit has been	Five years i.e. up to 29.03.2027 vide B-401 dt.30.03.2022. The unit has been

A

Annexure-



## परियोजना निदेशक का कार्यालय

**Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.**

(गंडक प्रोजेक्ट कॉलोनी, डी0टी0ओ0 ऑफिस, पानी टंकी कैम्पस, हाजीपुर - 844101)

Email Id - eebuldcovalishalhp@gmail.com, eedudavaishal@gmail.com

पत्रांक:- 404 / बुडको, हाजीपुर  
सेवा में,

दिनांक:- 25.10.2023

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय:-

NGT, New Delhi द्वारा Application No-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-2670, दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय एन0टी0जी0 के आदेश में उल्लेखित बिन्दु संख्या-02 इस कार्यालय से संबंधित है जिसका प्रतिवेदन तैयार कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

क्र0सं0	माननीय एन0टी0जी0 के आदेश में उल्लेखित बिन्दु संख्या-02	स्तंभ 2 में उल्लेखित मुद्दे से संबंधित प्रतिवेदन
1	2	3
1	Sewage being discharges into the river and tributaries - Sewage that includes domestic wastes, hospital waste, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	हाजीपुर नगर परिषद् प्रक्षेत्र अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के अधीन 22(MLD) STP, 4 IPSs एवं 138.9 Kms सिवरेज नेटवर्क परियोजना का कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजना की भौतिक प्रगति 80.50 प्रतिशत है। उक्त परियोजना में IPSs-01,02,03, & 04 की निर्माण की भूमि विलम्ब से कार्य हेतु प्राप्त होने के कारण तथा पाईप लेईंग हेतु MoRTH (PIU Patna and Chhapra ) एवं BIADA द्वारा NOC अभी भी प्रक्रियाधीन होने के कारण उक्त परियोजना का 02.07.2024 तक का अवधि विस्तार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मुख्यालय में प्रक्रियाधीन है। उक्त परियोजना में हाजीपुर नगर परिषद् प्रक्षेत्र के सभी घरों के सिवरेज (किचन एवं बाथरूम से निष्काशित जल) का उपचार कर कृषि योग्य बनाया जायेगा जिसका निकासी दिग्धी कला पूर्वी में बनी Irrigation Canal में किया जायेगा।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

*AS*  
25.10.23

परियोजना निदेशक,  
बुडको, हाजीपुर।

श्री मुनेश वाबू  
26/10

331  
6/10/23

28721



बिहार सरकार

Annexure-08

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर

मो०-दिग्धीकला, रामपसण्ड चौक के निकट, हाजीपुर, पिनकोड- 844 101  
(Mob.: 9636998523 e-Mail Id : vaishalidfo@gmail.com)

पत्रांक- 2373 / दिनांक- 25/10/2023

असीत कुमार, वि०ब०स०,  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय : NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।  
प्रसंग : आपका कार्यालय पत्रांक- 2670 दिनांक- 16.10.2023  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडल से संबंधित कंडिका- 03, 05 एवं 07 से संबंधी वांछित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

कंडिका क्रमांक	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दु	अनुपालन
3	Illegal sand and stone mining - by use of heavy machinery result in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc.	वैशाली जिलान्तर्गत अवैध रूप से बालु के खनन कार्य पर नियंत्रण एवं प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। खनन टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
5	Conservation of aquatic species - Gangetic Dolphins, gharial, otters, turtles, and several aquatic and terrestrial birds, Bank feature alteration due to land- use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the flood plain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of aquatic species.	वैशाली जिलान्तर्गत मुख्यतः गंगा एवं गंडक नदी अवस्थित है। इन नदियों में घड़ियाल, कछुआ, डॉल्फिन इत्यादि जलीय प्राणी पाये जाते हैं। इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आम लोगो में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार एवं विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर कार्यशाला एवं गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इन वर्णित जलीय प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम हेतु नाव द्वारा नियमित गश्ती कार्य कराया जाता है एवं किसी प्रकार का वन अपराध पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। डॉल्फिन के संरक्षण हेतु यदि मछली पकड़ने के क्रम में किसी मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंस जाती है, तो उसे मुक्त करने तथा मुक्त करने के क्रम में यदि जाल काटने की नौबत आती है, तो जाल के मुआवजे के रूप में विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
7	Plantation on both sides of river.	वैशाली जिलान्तर्गत गंगा एवं गंडक नदी के किनारे एवं 05 किमी० की परिधि में कराये गये वनरोपण की सूची संलग्न।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर।

क्र.सं.	वनरोपण वर्ष	प्रक्षेत्र	वनरोपण का प्रकार	वनरोपण स्थल का नाम	रकबा (हे० मं०)	रोपित धीर्षों की संख्या	अभि०
1	2	3	4	5	6	7	8
24		हाजीपुर		राजकीय युनियादी विद्यालय, लोमा, जन्दाहा	-	110	
25				उत्कर्मित मध्यमिक विद्यालय, रोहुआ, जन्दाहा	-	100	
26				पंचायत सरकार भवन, लोमा, जन्दाहा	-	120	
27		हाजीपुर एवं तालगांज	कृषि परिदृश्य	किसानों की निजी भूमि पर वनरोपण	33.33	5000	-
28		तालगांज		कुल योग :-	38.34	7500	
29		हाजीपुर	बाँस शैवियन वनरोपण	मथुरापुर गांज से धिमनपुर पथ तट	1.67	500	तृतीय वर्ष सम्भोषण
30				महनार से सलहा पथ - महनार ब्लॉक चमरहारा पथ तट	1.67	500	
31	2020-21	हाजीपुर	वनरोपण	हाजीपुर - महुआ पथ में राजेन्द्र चौक से देलकोरा चौक पथ तट	3.33	1000	कार्य प्रगति पर
32		तालगांज	संस्थागत वनरोपण	संसारी रामरति उ० वि० खंजाहाचक	-	465	
33		हाजीपुर एवं तालगांज	कृषि परिदृश्य	दीपनारायण सिंह राजकीयकृत उ०वि० पुरपट्टंड	-	535	
34				किसानों की निजी भूमि पर वनरोपण	46.67	7000	-
35				कुल योग :-	53.34	10000	
36	2019-20	हाजीपुर	बाँस शैवियन वनरोपण	माथाराम हाट (बिदुर) से मोहनपुर कालीपट्टी (चकसिकदर) पथ तट	1.67	500	चतुर्थ वर्ष सम्भोषण कार्य प्रगति पर
37		हाजीपुर एवं तालगांज	कृषि परिदृश्य	अमृतपुर से खंजाहाचक पथ बाँस शैवियन वृक्षारोपण	1.67	500	
				लहलादपुर से रामदौली गडक बाँध तट शैविक वृक्षा०	9.6	6000	
				किसानों की निजी भूमि पर वनरोपण	46.67	7000	-
				कुल योग :-	59.61	14000	
				सकल योग :-	156.29	34200	

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
कैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर



देशाली वन प्रमंडल, हालीपुर  
नमामि गंगे एवं अन्य योजनान्तर्गत गंडक / गंगा एवं अन्य सहायक नदियों के आस-पास क्रियान्वित वनरोपण योजनाओं की  
विवरण।

क्र.सं.	वनरोपण वर्ष	प्रक्षेत्र	वनरोपण का प्रकार	वनरोपण स्थल का नाम	रकबा (हे० मं०)	सेधित पौधों की संख्या	अभि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1			बाँस गैबियन वनरोपण	जलालपुर चौराहा से पीरापुर पथ तट	2.00	600	
2				एलवारपुर मल्हटौली से केशोपुर घाट पथ तट	2.00	600	
3				नगर परिषद क्षेत्र, हालीपुर के सौन्दर्यीकरण हेतु बाँस गैबियन वृक्षारोपण	1.00	500	
4		लालागंज		राजकीय उच्च विद्यालय, भगवानपुर स्ती	-	100	
5				राजकीयकृत उच्च विद्यालय, मसुरपुर	-	100	प्रथम वर्ष सम्प्रापण
6				राजकीयकृत उ० म० विद्यालय, सोन्धो	-	100	कार्य प्रगति पर
7	2022-23			राजकीय बुनियादी विद्यालय, बराहरूप	-	100	
8			संस्थागत वनरोपण	राजकीयकृत प्राथमिक वि० सिंहना कल्याण	-	100	
9				राजकीयकृत श्री रामचन्द्र उच्च विद्यालय, पातेपुर	-	100	
10		जन्दाहा		राजकीयकृत सत कबीर उच्च विद्यालय, नीलकण्ठपुर, महुआ	-	100	
11				राजकीयकृत रामवतार सहाय उच्च विद्यालय, जन्दाहा	-	100	
12				राजकीयकृत श्री शिवनन्दन गंगा उच्च विद्यालय, बाकरपुर	-	100	
13		हालीपुर		राजकीयकृत संराज उच्च विद्यालय, पोहियार	-	100	
				कुल योग :-	5.00	2700	
14		लालागंज		लक्ष्मी नारायणपुर से एकवडपुर पथ तट	1.67	500	
15		लालागंज	बाँस गैबियन वनरोपण	जलालपुर से जलालपुर गंडक नदी घाट पथ तट	1.67	500	
16		हालीपुर		बलगुडा विदुपुर (अक्षयवट राय स्टेशन) पथ सुरतपुर से राजापाकर चौक पथ तट	1.67	500	
17				राजकीय मध्य विद्यालय, अफजलपुर	-	50	
18				राजकीयकृत उ०वि०, चकलाभुईन	-	200	द्वितीय वर्ष सम्प्रापण-
19		लालागंज		राजकीयकृत उ०वि०, साईन	-	150	कार्य प्रगति पर
20	2021-22			राजकीय प्राथमिक विद्यालय, किशानपुरा	-	50	
21				राजकीय बुनियादी विद्यालय, सोरहा	-	50	
22				उत्कलिन मध्य विद्यालय, रसुलपुर, जन्दाहा	-	100	
23				उ०वि० लोमा, पीरापुर	-	70	

28724

Annexure-09

4

कार्यालय-असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली हाजीपुर।  
दूरभाष सं०-9470003807 / E Mail I.D-civilsurgeonvaishali@gmail.com

पत्रांक- 2026

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
सह-सदस्य सचिव,  
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, वैशाली

नोडल पदाधिकारी, जिला गंगा समिति, वैशाली -सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर

हाजीपुर, दिनांक- 30.10.2023

विषय- वांछित प्रतिवेदन का प्रेषण।  
प्रसंग- आपका पत्रांक-2670 दिनांक-16.10.2023।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2023 को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु ज्ञापांक-1736 दिनांक-12.09.2023 के माध्यम से सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

पुनः मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार जिस संस्थान के द्वारा कुछ माह से कचरा का उठाव नहीं कराया जा रहा है एवं अन्य सभी संचालित स्वास्थ्य संस्थानों को मेडिकेयर के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठाव कराने हेतु ज्ञापांक-1753 दिनांक-16.09.23 के द्वारा श्री चन्द्रमणि कुमार, प्रोजेक्ट हेड, मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली जिलान्तर्गत के माध्यम से नोटिस हस्तगत कराया जा रहा है। (छाया प्रति संलग्न)

Munesh Jee

4/10  
3/10

1357  
3/10/23

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य  
चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली हाजीपुर  
30/10/23

28725

3

कार्यालय-असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली हाजीपुर।

दूरभाष सं०-8544421943 / E Mail I.D-civilsurgeonvaishali@gmail.com

पत्रांक- 1753

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
सह-सदस्य सचिव,  
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, वैशाली

प्रेषित,

व्यवस्थापक का नाम:-  
संस्थान का नाम एवं पता:-

हाजीपुर, दिनांक- 16.9.2023

विषय-

नोटिस।

प्रसंग-

जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक-1736 दिनांक-12.09.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कहना है कि मेडिकेयर इम्पायरल मैनेजमेंट प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार आपके संस्थान के द्वारा कुछ माह से कचरा का उठाव नहीं कराया जा रहा है जो जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है।

जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण नर्सिंग होम / नीजी अस्पताल एवं जॉच घर को बन्द कर सील करने की कार्यवाही करने का प्रावधान है।

अतः निदेशित है कि यथाशीघ्र मेडिकेयर के माध्यम से जैव चिकित्सा अवशिष्ट का उठाव कराना सुनिश्चित करेंगे एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के आलावे निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु निर्धारित दर पर नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के माध्यम से कचरे का उठाव कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी तरह का कचरा खुले में नहीं रखेंगे।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य  
चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली हाजीपुर

ज्ञापांक-

1753

हाजीपुर, दिनांक-

16/9/23

16.9.2023

प्रतिलिपि-

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपने प्रखंड अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अपने स्तर से भी सूचित कर देंगे।

प्रतिलिपि-

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज, महानगर, महुआ / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखंड के ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

डॉ० मधुसूदन सिंह, अध्यक्ष, आई०एम०ए०, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

श्री चन्द्रमणि कुमार, प्रोजेक्ट हेड, मेडिकेयर इम्पायरल मैनेजमेंट प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार सभी संस्थानों को अपने स्तर से पत्र हस्तगत कराएँगे।

प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य  
चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली हाजीपुर

16/9/23

जिला पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2023 को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2016 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही -

1. उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।
2. मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि के द्वारा यह बताया गया कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र, राघोपुर से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठाव पीपा पुल टूट जाने के कारण नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह निदेश दिया गया कि तत्काल मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि एवं बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, पटना के प्रतिनिधि से विमर्श कर प्रा0 चि0 पदा0 के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था कराई जाये।  
(अनु0:-मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि/बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, पटना के प्रतिनिधि/सिविल सर्जन, वैशाली/प्रा0 चि0 पदा0, राघोपुर )
3. मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर के द्वारा कुल 113 (एक सौ तेरह) संस्थान की सूची उपलब्ध कराई गई है जिनके द्वारा कुछ माह से कचरा का उठाव नहीं कराया जा रहा है। सिविल सर्जन, वैशाली को यह निदेश दिया गया कि उक्त सभी संस्थान को एक सप्ताह का समय देते हुए बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, पटना के मार्ग निर्देश के आलोक में दंड निर्धारित करते हुए कारण पृच्छा करे।  
(अनु0:-सिविल सर्जन, वैशाली)
4. जिलान्तर्गत संचालित सभी नीजी स्वास्थ्य संस्थान से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के आलावे निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु दर निर्धारित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कचरे का उठाव हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए।  
(अनु0:-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज, महनार, महुआ/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखंड के ग्राम पंचायत)
5. सभी संचालित नीजी स्वास्थ्य संस्थान का जाँच करते हुए यह सुनिश्चित करना कि सभी जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठाव मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर से जरूर कराये एवं ऐसा नहीं करने वाले संस्थान के विरुद्ध बिहार क्लिनिकल एस्टेबलिसमेंट एक्ट के अन्तर्गत एवं बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, पटना के मार्ग निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाये।  
(अनु0:-सिविल सर्जन, वैशाली)
6. सभी सरकारी एवं निबंधित नीजी स्वास्थ्य संस्थानों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था सरकार के निर्धारित दर पर मुहैया कराया जाये एवं जिन स्वास्थ्य संस्थानों में बोरिंग आदि की आवश्यकता हो उन्हें सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में आवश्यक अनुमति दिया जाये।  
(अनु0:- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हाजीपुर)

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य  
चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली

ज्ञापांक- 1736

हाजीपुर, दिनांक- 12.09.2023

- प्रतिलिपि- सचिव, स्व0 कन्हई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- क्षेत्रिय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज, महनार, महुआ / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखंड के ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- डॉ0 मधुसूदन सिंह, अध्यक्ष, आई0एम0ए0, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- श्री चन्द्रमणि कुमार, प्रोजेक्ट हेड, मेडिकेयर इन्भायरल मैनेजमेंट प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पदाधिकारी सह-सदस्य सचिव, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी निबंधित नीजी नर्सिंग होम के प्रबंधक एवं चिकित्सक, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी  
वैशाली

सेवा में,

19/08/2023-10

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय : NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर परिषद्, हाजीपुर का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नांकित है:-

क्र० सं०	मननीय एन0जी0टी0 के आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालित किये जाने वाले प्रमुख विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
01	Sewage being discharges into the river and tributaries – Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रांतर्गत गंगा एवं सहायक नदियों में किसी प्रकार का नाला का प्रवाह नहीं है। गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने हेतु नगर परिषद् के द्वारा कई निषेधात्मक उपाय किये गये हैं:- (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत नदी में शहर से निकलने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट अथवा सिवेज का विस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है। (ख) नगर परिषद् हाजीपुर में घरों से निकलने वाले सिवेज के निष्पादन हेतु 22 MLD का STP निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 2024 में शुरू होना प्रस्तावित है।
02	Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation	(क) Solid Waste and legacy waste remediation के तहत घर-घर कचड़ा संग्रह किया जाता है जिसमें गीला एवं सूखा कचड़ा अलग-अलग होता है। (ख) गीला कचड़ा को पीट एवं कम्पोस्ट मशीन के द्वारा सेग्रिगेट कर कम्पोस्ट खाद बनाया जाता है। (ग) संग्रह किये गये सूखा कचड़ा को MRF सेन्टर पर अलग-अलग कर निष्पादन किया जाता है। (घ) नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रांतर्गत legacy waste नहीं है।

विश्वासभाजन

*Anil Kumar*  
नगर प्रबंधक,  
19/08/2023

नगर परिषद्, हाजीपुर।

28729

Amendment-11

नगर परिषद कार्यालय, लालगंज (वैशाली)

पत्रांक :- 1132  
प्रेषक,

दिनांक :- 01.11.2023

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद लालगंज (वैशाली)

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली

-सह-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय :-

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. 340/2023) में पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-  
महाशय,

आपका पत्रांक 2670 दिनांक 16.10.2023

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. 340/2023) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर परिषद लालगंज का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	माननीय एन०जी०टी० द्वारा उक्त पारित आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालन हेतु विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
1	<b>Sewage being discharges into the river and tributaries</b> – Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas ets. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	नगर परिषद लालगंज क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। शहर के किनारे भाग से गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नदी को प्रदुषण से बचाने हेतु नगर परिषद के द्वारा कई निषेधात्मक उपाए किए गए है:- 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत नदी में शहर से निकलने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट सिवेज का निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है। 2. शहर के अंदर अवस्थित सभी छोटे एवं बड़े नालों के निस्सरण स्थल (Discharge Point) पर ठोस अपशिष्ट का Screening किये जाने हेतु जाली लगाने का कार्य किया गया है।

	<p>3. नगर परिषद लालगंज में घरों से निकलने वाले सिवेज के Treatment हेतु वर्तमान में STP की सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>4. घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल (Used Water) का समुचित प्रबंधन हेतु विभाग के स्तर से City Sanitation Action Plan के नाम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तैयार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई विभाग के स्तर से किया जाना है।</p> <p>5. सिवेज में पाए जाने वाले TC/FC (Total Coliforms/Faecal Coliforms) का Measurement करने हेतु कोई Specific Machanism नगर परिषद लालगंज के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>6. स्वच्छ भारत मिशन के तहत नदी के किनारे खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया है।</p>
2	<p>Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.</p> <p>नगर परिषद लालगंज में कुल 26 वार्ड है। शहरी क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों से डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य विभिन्न प्रकार के वाहनों के माध्यम से किया जाता है। गीला एवं सुखा कचड़ा का प्रसंस्करण हेतु नगर परिषद लालगंज क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०-26 में Compost Pit संचालित है। वर्तमान में उक्त Compost Pit कार्यरत है, जहाँ कचड़ा से जैविक खाद्य का निर्माण कराया जा रहा है। सम्प्रति कचड़ा डम्पिंग साईट शहर से लगभग 03 कि०मी० की दूरी पर है। वर्तमान में नगर परिषद लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कहीं भी Legacy waste नहीं है।</p>

विश्वासभाजन



कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद लालगंज (वैशाली)

कार्यालय नगर परिषद, महनार।

पत्रांक- 1083

दिनांक- 01.11.2023

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, महनार।नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय - NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- मवदीय पत्रांक-2670, दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर परिषद, महनार का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नांकित है :-

क्र0 सं0	माननीय एन0जी0टी0 के आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले प्रमुख विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
01	<p><b>Sewage being discharges into the river and tributaries.</b></p> <p>Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas . STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)</p>	<p>नगर परिषद, महनार के दक्षिणी भाग में गंग शिक्स्त क्षेत्र है जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु नगर परिषद, के द्वारा कई निषेधात्मक उपाय किए गए है:-</p> <p>(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत नदी में शहर से निकलने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट अथवा सिवेज का निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है।</p> <p>(ख) नगर परिषद, महनार में घरों से निकलने वाले सिवेज के Treatment हेतु वर्तमान में STP की सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(ग) घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जलों (Used Water) का समुचित प्रबंधन हेतु विभाग के स्तर से City Sanitation Action Plan के नाम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Deatail Project Report ) तैयार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई विभाग के स्तर से किया जाना है।</p>

		<p>(घ) सिवेज में पाए जाने वाले TC/FC (Total Coliforms / Faecal Coliforms) का Measurement करने हेतु कोई Specific Mechanism नगर परिषद, महनार के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(ङ) नदी का पर्यावरण संतुलित रखने के उपाय के तहत नदी के खाली भूखंड पर हरित पट्टी विकसित किये जाने की नगर परिषद की योजना है ताकि स्थानीय लोगों को एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नदी के किनारे जगह-जगह वृक्षारोपण कराये जाने की भी योजना है।</p> <p>(च) नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कुड़ेदान का अधिष्ठापन किया गया है ताकि आगंतुको के द्वारा यत्र-तत्र कचड़ा फैलाया नहीं जा सके।</p> <p>(छ) नगर परिषद, महनार में प्रवाहित गंगा नदी के किनारे किसी भी प्रकार का कूड़ा डम्पिंग साईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है।</p> <p>(ज) स्वच्छ भारत मिशन के तहत नदी के किनारे खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया है।</p>
02	Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.	<p>नगर परिषद, महनार में कुल 27 वार्ड है। शहरी क्षेत्र अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों से डोर-टु-डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य 02 ट्रेक्टर, 07 टिपर, 06 ई-रिक्सा एवं 27 ठेला गाड़ी के माध्यम से कराया जाता है। गीला एवं सुखा कचड़ा का प्रसंस्करण हेतु खरजम्मा वार्ड संख्या- 02 में Processing site का विकास किया गया है जो Honey Comb (Pit Based Composting) पर आधारित है। वर्तमान में Processing site कार्यरत है। सम्प्रति कचड़ा डम्पिंग का कार्य शहरी क्षेत्र से लगभग 02 किलोमीटर की दुरी पर झुर्किया ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में नगर परिषद, महनार क्षेत्रान्तर्गत कहीं भी Legacy waste नहीं है।</p>

कृपया प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, महनार।



## कार्यालय नगर परिषद, महुआ (वैशाली)

[Email id:-nagarpanchayatmahua@gmail.com]

पत्रांक...1110.....  
प्रेषक,

दिनांक...18/10/23

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, महुआ

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
—सह—

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय:—

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:—  
महाशय,

भवदीय पत्रांक—2670, दिनांक—16.10.2023


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर परिषद, महुआ का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नांकित है:—

क्र० सं०	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालित किये जाने वाले प्रमुख विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
01	<p><b>Sewage being discharges into the river and tributaries</b> — Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)</p>	<p>नगर परिषद, महुआ क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। शहर के मध्य भाग में गंडक की सहायक वाया नदी का प्रवाह क्षेत्र है। वाया नदी को प्रदुषण से बचाने हेतु नगर परिषद के द्वारा कई निषेधात्मक उपाए किए गए हैं:—</p> <p>(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत नदी में शहर से निकलने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट अथवा सिवेज का निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है।</p> <p>(ख) शहर के अन्दर अवस्थित सभी छोटे एवं बड़े नालों के निस्सरण स्थल (Discharge Point) पर ठोस अपशिष्ट का Screening किये जाने हेतु जाली लगाने का कार्य किया गया है ताकि ठोस अपशिष्ट का प्रवाह नदी में नहीं हो सकें।</p> <p>(ग) नगर परिषद, महुआ में घरों से निकलने वाले सिवेज के Treatment हेतु वर्तमान में STP की सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(घ) घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जलों (Used Water) का समुचित प्रबंधन हेतु विभाग के स्तर से City Sanitation Action Plan के नाम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तैयार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई विभाग के स्तर से किया जाना है।</p> <p>(ङ) सिवेज में पाए जाने वाले TC/FC (Total Coliforms/Faecal Coliforms) का Measurement करने हेतु कोई Specific Mechanism नगर परिषद, महुआ के पास उपलब्ध नहीं है।</p>

		<p>(च) नदी का पर्यावरण संतुलित रखने के उपाय के तहत नदी के खाली भूखंड पर हरित पट्टी विकसित किये जाने की नगर परिषद की योजना है ताकि स्थानीय लोगों को एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नदी के किनारे जगह-जगह वृक्षारोपण कराये जाने की भी योजना है।</p> <p>(छ) नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कुड़ेदान का अधिष्ठापन किया गया है ताकि आगंतुको के द्वारा यत्र-तत्र कचड़ा फैलाया नहीं जा सकें।</p> <p>(ज) नगर परिषद, महुआ में प्रवाहित बाया नदी के किनारे किसी भी प्रकार का कूड़ा डम्पिंग साईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है।</p> <p>(झ) स्वच्छ भारत मिशन के तहत नदी के किनारे खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया है।</p>
	<p>Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.</p>	<p>नगर परिषद, महुआ में कुल 25 वार्ड है। शहरी क्षेत्र अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों से डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य 04 टिपर के माध्यम से कराया जाता है। गीला एवं सुखा कचड़ा का प्रसंस्करण हेतु महुआ सिंह राय पश्चिमी, वार्ड संख्या-01 में Processing site का विकास किया गया है जो Honey Comb (Pit Based Composting) पर आधारित है। वर्तमान में Processing site कार्यरत है। सम्प्रति कचड़ा डम्पिंग का कार्य शहरी क्षेत्र से लगभग 02 किलोमीटर की दूरी पर छतवारा खासपट्टी विस्तारित क्षेत्र (वार्ड सं0-06) में किया जाता है। वर्तमान में नगर परिषद, महुआ क्षेत्रान्तर्गत कही भी Legacy waste नहीं है।</p>

कृपया प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

  
 नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर परिषद, महुआ

28735

Annexure-14

नगर पंचायत कार्यालय, गोरौल (वैशाली)

पत्रांक :- 301  
प्रेषक,

दिनांक :- 01-11-2023

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत गोरौल (वैशाली)

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली

-सह-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, हाजीपुर।

विषय :-

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. 340/2023) में पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 2670 दिनांक 16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. 340/2023) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर पंचायत गोरौल का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	माननीय एन०जी०टी० द्वारा उक्त पारित आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालन हेतु विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
1	<b>Sewage being discharges into the river and tributaries -</b> Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas ets. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	नगर पंचायत गोरौल एक नव गठित नगर पंचायत है। नगर पंचायत गोरौल क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। शहर के मध्य भाग से वाया नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नदी को प्रदुषण से बचाने हेतु नगर पंचायत के द्वारा कई निषेधात्मक उपाए किए गए है:- 1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत नदी में शहर से निकलने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट सिवेज का निस्तारण किया जाना प्रतिबंधित है। 2. शहर के अंदर अवस्थित सभी छोटे एवं बड़े नालों के निस्सरण स्थल (Discharge Point) पर ठोस अपशिष्ट का Screening किये जाने हेतु जाली लगाने का कार्य किया गया है। 3. नगर पंचायत गोरौल में घरों से निकलने वाले सिवेज के


Manish Jee

02/11/23

356  
21/11/23

		<p>Treatment हेतु वर्तमान में STP की सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>4. घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल (Used Water) का समुचित प्रबंधन हेतु विभाग के स्तर से City Sanitation Action Plan के नाम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तैयार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई विभाग के स्तर से किया जाना है।</p> <p>5. सिवेज में पाए जाने वाले TC/FC (Total Coliforms/Faecal Coliforms का Measurement करने हेतु कोई Specific Machanism नगर पंचायत गोरौल के पास उपलब्ध नहीं है।</p>
2	Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.	<p>नगर पंचायत गोरौल में कुल 14 वार्ड है। शहरी क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शत-प्रतिशत घरों से डोर-दूर-डोर कचड़ा संग्रहण का कार्य विभिन्न प्रकार के वाहनों के माध्यम से किया जाता है। कचड़ा डम्पिंग साईट शहर से लगभग 03 कि०मी० की दूरी पर है। वर्तमान में नगर पंचायत गोरौल क्षेत्रान्तर्गत कहीं भी Legacy waste नहीं है।</p>

विश्वासभाजन



कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत गोरौल (वैशाली)

## कार्यालय, नगर पंचायत, पातेपुर, वैशाली

(Email- patepurnp@gmail.com)

पत्रांक :  
प्रेषक :

382

दिनांक : 31.10.2023

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, पातेपुर

सेवा में,

मोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय :

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर पंचायत, पातेपुर का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नानुसार निम्नानुसार है:-


क्र० सं०	मननीय एन0जी0टी0 के आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालित किये जाने वाले प्रमुख विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
01	Sewage being discharges into the river and tributaries – Sewage that includes domestic waste, hospital waste, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna).	नगर पंचायत, पातेपुर क्षेत्रांतर्गत गंगा की सहायक नून नदी में किसी प्रकार का नाला का प्रवाह नहीं है।
02	Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.	(क) Solid Waste and legacy waste remediation के तहत घर-घर कचड़ा संग्रह किया जाता है जिसमें गीला एवं सूखा कचड़ा अलग-अलग होता है। (ख) नगर पंचायत, पातेपुर क्षेत्रांतर्गत legacy waste नहीं है।

विश्वासभाजन

  
31.10.23  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, पातेपुर।

28738

Annexure 10



कार्यालय  
नगर पंचायत, जन्दाहा(वैशाली)  
(Email:- nagarpanchayatjandaha2021@gmail.com)

पत्रांक:- 275

दिनांक 31.10.23

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत जन्दाहा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समिति, वैशाली  
-सह-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, हाजीपुर।

विषय:-

NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-2670, दिनांक-16.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य (I.A. No. 340/2022) में पारित आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं जिनका अनुपालन नगर निकाय द्वारा किया जाना है, के संबंध में नगर पंचायत जन्दाहा का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नांकित है:-

क्र०सं०	माननीय एन०जी०टी० के आदेश में नगर निकायों द्वारा अनुपालित किये जाने वाले प्रमुख विषय	अनुपालन प्रतिवेदन
01	Sewage being discharges into the river and tributaries – Sewage that includes domestic waste, hospital waste, Industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	नगर पंचायत जन्दाहा क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। शहर के अश्र भाग में वाया नदी का प्रवाह क्षेत्र है। वाया नदी को प्रदुषण से बचाने हेतु नगर पंचायत के द्वारा कई निषेधात्मक उपाय किये गए हैं। 1) नगर पंचायत जन्दाहा एक नव गठित निकाय है फिर भी शहर के अन्दर सभी नालों के निस्सरण स्थल पर जाली लगाने का योजना है ताकि ठोस अपशिष्ट का प्रवाह नदी में नहीं हो सके। 2) नगर पंचायत जन्दाहा में घरों से निकलने वाले सिवेज के treatment हेतु

1354  
02/11/23

Munesh Jee  
841  
02/11

		<p>वर्तमान में STP की सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>3) नदी का पर्यावरण संतुलित रखने के उपाय के तहत नदी के दोनों किनारों के खाली जमीन पर वृक्षारोपण कराये जाने का योजना है।</p> <p>4) नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कुड़ेदान का अधिष्ठापन किया जाना है ताकि आमजनों द्वारा यत्र-तत्र कचड़ा फैलाया नहीं जा सके।</p> <p>5) नगर पंचायत जन्दाहा में प्रवाहित वाया नदी के किनारे किसी भी प्रकार का कूड़ा डम्पिंग नहीं किया जाता है।</p> <p>6) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व अपशिष्ट पानी का समुचित प्रबंधन हेतु विभाग से मांगदर्शन की माँग की गई है।</p>
02	<p>Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.</p>	<p>नव गठित नगर पंचायत जन्दाहा में कुल 14 वार्ड व शहरी क्षेत्र अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत सभी घरों से डोर टू डोर कचड़ा का संग्रहण का कार्य 04 ट्रेक्टर व ट्रॉली के माध्यम से कराया जाता है। गीला एवं सुख कचड़ा का प्रसंस्करण हेतु नगर परिषद् महुआ के Processing site पर भेजा जाता है। टिपर या अन्य साधनों के माध्यम से कचड़ा का संग्रहण का कार्य कराये जाने का भी योजना है।</p>

कार्यपालक/पदाधिकारी  
नगर पंचायत, जन्दाहा।  
31.10.23

28740

नगर परिषद, हाजीपुर  
20 OCT 2023  
(विशाली)

Munesh Jee  
AY  
20/10

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज।  
Email Id - eefloodanddrainagedivlalganj@gmail.com

पत्रांक: 1589 / सातगंज, दिनांक: 20/10/2023.

सेवा में,  
मोडल पदाधिकारी,  
जिला गंगा समितिविशाली  
-सद-  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, (हाजीपुर)।  
Email- hajipurparishad@gmail.com

विषय:- NGT, New Delhi द्वारा Application No. 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत-सरकार एवं अन्य  
(I.A.No.-340/2022) में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।  
प्रसंग:- आपका पत्रांक-2670 दिनांक-16.10.2023.

महाराज,  
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में माननीय एन. सी. टी. के आदेश में उल्लेखित प्रमुख बिंदु के क्रम संख्या 04 Flood plain encroachment and operation of brick kilns on the Flood plains of River Ganga के सम्बन्ध में कहना है कि इस प्रमंडलत्तरगत गंगा नदी में बाढ़ अवधि के दौरान, बाढ़ से होने वाले क्षति/कटाव के बचाव हेतु बाढ़ संपर्क कार्य एवं बाढ़ अवधि के पश्चात् बाढ़ से हुए क्षति/कटाव की मरम्मत हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य / कटाव निरोधक कार्य कराया जाता है।  
अतः Flood plain encroachment and operation of brick kilns से संबंधित कार्य इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।  
सूचनायें समर्पित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,  
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण  
प्रमंडल, सातगंज।

1322  
20/10/23